संख्या—पी—13 / 14—2—2019—800 (24) / 2019

प्रेषक,

आशीष तिवारी,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण,, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन
पंचम तल सेक्टर एच, अलीगंज विस्तार
लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग—2 **लखनऊ, दिनांक** 26 **मार्च , 2019**

विषयः— जनपद मथुरा में मथुरा—वृन्दावन मार्ग (एम0डी0आर0—123) किमी0—5 (चैनेज—4.246) ग्राम अहिल्यागंज बांगर के प्लाट सं0 163 / 100 / 5 पर भारत पेट्रोलियम कारपो0 लि0, मथुरा द्वारा प्रस्तावित रिटेल आउटलेट (डीजल / पेट्रोल पम्प) के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.040988 हे0 संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी के पत्र संख्या—1524 / 11—सी / एफपी / यूपी / अदर्स / 35083 / 2018 दिनांक 05—02—2019 के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि जनपद मथुरा में मथुरा—वृन्दावन मार्ग (एम0डी0आर0—123) किमी0—5 (चैनेज—4.246) ग्राम अहिल्यागंज बांगर के प्लाट सं0 163 / 100 / 5 पर भारत पेट्रोलियम कारपो0 लि0, मथुरा द्वारा प्रस्तावित रिटेल आउटलेट (डीजल / पेट्रोल पम्प) के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.040988 हे0 संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति मांगी गयी हैं।

2— अतएव उक्त प्रस्ताव की एक प्रति मूल रूप में संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया वन (संरक्षण) अधिनियम,1980 के प्राविधानों के अंतर्गत नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः— यथोपरि।

भवदीय,

(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव।

संख्या—पी—13(1) / 14—2—2019—तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा।
2— जिलाधिकारी, मथुरा।
3— प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मथुरा।
4— प्रादेशिक प्रबंधक, रिटेल, भारत पेट्रोलियम कारपो0 लि0, रिफाइनरी, मथुरा।
5— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 दीपक कोहली)
उप सचिव।